।। संशोधित पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 07-8-2025
514/2022	14.12.2022	

उनवानः

1. महावीर पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी माजरीखुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. रामचन्द्र पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी माजरीखुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0......मृतक

2/1 सरवन बेवा रामचन्द्र जाति अहीर
2/2 सुमन देवी पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर
2/3 सुखवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
2/4 अरूण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
2/5 सतेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
2/6 संदीप कुमार यादव पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर सभी निवासी ग्राम माजरी खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. रामानन्द पुत्र लीलाराम जाति अहीर
2. सविता पुत्री लीलाराम जाति अहीर
3. अमित पुत्र लीलाराम जाति अहीर
4. शांति देवी पत्नी रामोतार जाति अहीर
5. सम्पत देवी पत्नी हरदयाल जाति अहीर
6. सरबती देवी पत्नी कंवरसिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम माजरी खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. तहसीलदार नीमराना बैसियत भू–अभिलेख अधिकारी
8. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मुकेश कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी, तहसीलदार नीमराना द्वारा खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.06 है0, 1065 रकबा 0.01 है0, 1068 रकबा 0.03 है0, वाके ग्राम माजरीखुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की बाबत पेश कुर्दे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 20.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	अरूण कुमार पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1065	0.01
2.	सुखवीर सिंह पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1068	0.03
3.	सतेन्द्र पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1064/2	0.0225
4.	संदीप कुमार पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
5.	सुमन देवी पुत्री रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
6.	सरवन पत्नी रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
7.	महावीर पुत्र किशोरीलाल रामचन्दर हि0 250/625 अहीर सा0 देह खातेदार		
		कुल किता–3 कुल रकबा 0.0625 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	शांति देवी पत्नी रामावतार हि. 1/3 अहीर सा0 देह खातेदार	1064/1	0.0375
2.	सरबती देवी पत्नी कंवरसिंह हि. 1/3 अहीर सा0 देह खातेदार		
3.	सन्पत देवी पत्नी हरदयाल हि. 1/6 अहीर सा0 देह खातेदार		
4.	रामानन्द पुत्र लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
5.	अनित पुत्र लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
6.	सविता पुत्री लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
		कुल किता–1 कुल रकबा 0.0375है.	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायन कर अनल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-8-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 514 / 2022	तारीख रजू 14.12.2022	अंतिम निर्णय दिनांक 30.6.25

उनवानः

1. महावीर पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी माजरीखुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. रामचन्द्र पुत्र किंशोरीलाल जाति अहीर निवासी माजरीखुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0......मृतक

2/1 सरवन बेवा रामचन्द्र जाति अहीर

2/2 सुमन देवी पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर

2/3 सुखवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर

2/4 अरूण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर

2/5 सतेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर

2/6 संदीप कुमार यादव पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर सभी निवासी ग्राम माजरी खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादीगण

बनाम

1. रामानन्द पुत्र लीलाराम जाति अहीर
2. सविता पुत्री लीलाराम जाति अहीर
3. अमित पुत्र लीलाराम जाति अहीर
4. शांति देवी पत्नी रामोतार जाति अहीर
5. सम्पत देवी पत्नी हरदयाल जाति अहीर
6. सरबती देवी पत्नी कंवरसिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम माजरी खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. तहसीलदार नीमराना बैसियत भू–अभिलेख अधिकारी
8. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री मुकेश कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1064 रकबा 0.06 है0, 1065 रकबा 0.01 है0, 1068 रकबा 0.03 है0, वाके ग्राम माजरीखुर्द तह0 नीमराना मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान मे वादी सं0 1 हिस्सा–1/4 का तथा वादी सं0 2 हिस्सा–3/8 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 है। आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय पुर्व ही अच्छी–बुरी के हिसाब से विजान कर लिया था जिसके मुताबक हम वादीगण ने अपने हिस्सा पर धर्मकांटा दुकानात व चारदीवारी का निर्माण कर लिया गया तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा खाली है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

इसलिए आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज है लेकिन मौके पर आराजी मुतनाजा का विभाजन किया हुआ है। इसलिए मौके पर किये गये विभाजन के मुताबिक दावा के साथ ब्ल्यूप्रिंट नक्शा बनाकर पत्रावली के साथ पेश किया गया है। इसलिए ब्ल्यूप्रिंट नक्शा के मुताबिक भूमि के मौका की पैमाईश करवाई जाकर हम वादीगण के हिस्से का अलग से खातावन्दी की जावे तथा हाल राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटा जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किये जावे ......आदि

वाद वादीगण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। वकील वादीगण के निवेदन पर वकील वादीगण को एक पक्षीय सुना गया। वकील वादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र को मौके पर किये गये विभाजन के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाने के लिए प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन करने के पश्चात दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1064, 1065, 1068 वाके ग्राम माजरीखुर्द संलग्न जमाबन्दी के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज है। जिन खसरा नम्बरान का विभाजन बिना कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई किया जाना सम्भव नही होने के कारण, न्याय हित मे वादीगण के वाद पत्र को दिनांक 27.05.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.05.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1064 रकवा 0.06 है0, 1065 रकवा 0.01 है0, 1068 रकवा 0.03 है0, वाके ग्राम माजरीखुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 20.06.2025 को तैयार करवाकर दिनांक 23.06.2025 को इस न्यायालय मे पेश की गई । वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 20.06.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकवा हैक्टर
1.	अरूण कुमार पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1065	0.01
2.	सुखवीर सिंह पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1068	0.03
3.	सतेन्द्र पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार	1064/2	0.0225
4.	संदीप कुमार पुत्र रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
5.	सुमन देवी पुत्री रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
6.	सरवन पत्नी रामचन्दर हि0 125/1250 अहीर सा0 देह खातेदार		
7.	महावीर पुत्र किशोरीलाल रामचन्दर हि0 250/625 अहीर सा0 देह खातेदार		
		कुल किता–3 कुल रकबा 0.0625 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा हैक्टर
1.	शांति देवी पत्नी रामावतार हि. 1/3 अहीर सा0 देह खातेदार	1064/1	0.0375
2.	सरबती देवी पत्नी कंवरसिंह हि. 1/3 अहीर सा0 देह खातेदार		
3.	सम्पत देवी पत्नी हरदयाल हि. 1/6 अहीर सा0 देह खातेदार		
4.	रामानन्द पुत्र लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
5.	अमित पुत्र लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
6.	सविता पुत्री लीलाराम हि. 1/18 अहीर सा0 देह खातेदार		
		कुल किता–1 कुल रकबा 0.0375है0	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–वहरोड)